पत्र सं0-एल0आर0टी0-12-1/2006........../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा- वित्त विभाग*

पटना, दिनांक..............

विषयः- **श्री उमेश कुमार सिंह, सेवा निवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त से सम्बन्धित सेवा शर्त्तो का निर्धारण।**

-----

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-एल0आर0टी0-12-01/2006-4239/जे0, दिनांक-07.06.2013 द्वारा श्री उमेश कुमार सिंह, सेवा निवृत जिला न्यायाधीश को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् न्यायाधीकरण के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् अधिनियम, 1950 की धारा-43 के अधीन नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा श्री सिंह का निम्नलिखित सेवा शर्त्तो की स्वीकृति दी जाती है:-

1. श्री सिंह को न्यायाधिकरण में पदस्थापन की अवधि में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोटि वेतनमान में प्राप्त वेतन से पेन्शन की राशि घटाकर उस पर अनुमान्य राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता देय होगा। पुनर्नियोजन अवधि में पेंशन पर महंगाई राहत के संबंध में निर्णय होने पर तद्नुसार वह प्रभावी होगा।

2. श्री सिंह को आवासीय दूरभाष सुविधा के रूप में उन्हें मोबाईल के लिए अधिकतम 1000/-(एक हजार) रूपये प्रतिमाह देय होगा वशर्त्ते मोबाईल सेट पीठासीन पदाधिकारी को स्वयं क्रय करना होगा जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा नही किया जायेगा।

3. श्री सिंह को शेट्टी आयोग की अनुशंसा के अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में समाचार पत्र एवं पत्रिका की सुविधा प्राप्त होगी।

4. श्री सिंह को राज्य सरकार के पदाधिकारियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश एवं उपार्जित अवकाश देय होगा।

5. पुर्ननियोजन अवधि राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी पेंशन योजना/ग्रुप बीमा योजना में शामिल नहीं की जायेगी।

6. पुनर्नियुक्ति की अवधि में श्री सिंह को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा देय यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नगर क्षति पूर्ति भत्ता, सरकारी आवास भत्ता (सरकारी आवास की अनुपलब्धता की स्थिति में) एवं सवारी भाड़ा भत्ता (सरकारी गाड़ी की अनुपलब्धता की स्थिति में) अनुमान्य होगा।

7. श्री सिंह को नियोजन की अवधि में किसी प्रकार का मोटर अग्रिम/भवन निर्माण अग्रिम अनुमान्य नही होगा।

8. श्री सिंह को अपने कोटि के अवधि में अपने कोटि के न्यायिक पदाधिकारियों के अनुरूप गाऊन भत्ता देय होगा।

9. श्री सिंह को शेट्टी आयोग की अनुशंसा के अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में सेवा निवृत राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता की सुविधा देय होगी।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-12-1/2006...590...जे0/ पटना, दिनांक...19-12-13...

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना/अवर सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-12-1/2006...590...जे0/ पटना, दिनांक...19-12-13...

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, विद्यापति मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/श्री उमेश प्रसाद सिंह, पीठासीन पदाधिकारी, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् न्यायाधिकरण, पटना/बजट शाखा, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-12-1/2006...590...जे0/ पटना, दिनांक...19-12-13...

प्रतिलिपिः- विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।